भारत सरकार

वत्त मंत्रालय

आ र्थक कार्य वभाग

लोक सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या **114**

(जिसका उत्तर सोमवार, 21 जुलाई, **2025/**30 आषाढ़, **194**7 (शक) को दिया जाना है)

हरित वत्तपोषण

114. श्री वाई. एस. अ वनाश रेड्डीः

क्या वत्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या वास्तव में वश्व भर में हरित वत्तपोषण की मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में हरित वत्तपोषण को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार हरित और संवहनीय परियोजनाओं से संबं धत वत्तपोषण के लए अ धमान्य कार्य व ध निर्धारित करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है**?**

उत्तर

वत्त राज्य मंत्री **(**श्री पंकज चौधरी**)**

(क) हरित वत्तपोषण वैश्विक स्तर पर लोक प्रय हो रहा है क्यों क राष्ट्र यूएनएफसीसीसी और इसके पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को क्रयान्वित करना चाहते हैं।

(ख) से (घ) हरित वत्तपोषण को जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत प्रत्यक्ष बजटीय सहायता और उच्च दक्षता वाले सौलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण प्रणा लयों, और ऑटोमोटिव एवं ऑटो-कम्पोनेंट क्षेत्रों के लए उत्पादन-संबंधी प्रोत्साहन योजनाओं के अतिरिक्त, कई नीतिगत और वनियामक उपायों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है।

इसके अलावा, सेबी ने वर्ष **2017** में सतत वत्त के रूप में हरित ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने के लए वनियामक फ्रेमवर्क शुरू कया, जिसे प्रदूषण निवारण और नियंत्रण, पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों आदि को शा मल करने के लए 'हरित ऋण प्रतिभूति' की परिभाषा की सीमा का वस्तार करने के लए नया स्वरूप दिया गया था। वनियामक ने हरित ऋण प्रतिभूतियों की उप-श्रे णयों के रूप में ब्लू बॉन्ड (जल प्रबंधन और समुद्री क्षेत्र से संबं धत), येलो बॉन्ड (सौर ऊर्जा से संबं धत) और ट्रांज़िशन बॉन्ड भी शुरू कए हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय वत्तीय सेवा केंद्र प्रा धकरण ने ग्रीन बॉन्ड, सोशल बॉन्ड, सस्टेनेबि लटी बॉन्ड, सस्टेनेबि लटी-लंक्ड बॉन्ड और अन्य लेबल्ड बॉन्ड के वकास को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक वनियामक फ्रेमवर्क भी वनिर्दिष्ट कया है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने वर्ष **2022** में व भन्न मंत्रालयों की पात्र हरित परियोजनाओं के लए संसाधन जुटाने हेतु सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की शुरुआत की। आरबीआई के 'हरित जमाओं की स्वीकृति हेतु फ्रेमवर्क' जैसे अन्य उपायों का उद्देश्य देश में हरित वत्त ईको सस्टम को बढ़ावा देना और वक सत करना है। इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लए **₹30** करोड़ तक के बैंक ऋण प्राथ मकता क्षेत्र संबंधी ऋण के तहत पात्र हैं।

*****